

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 31/03/2020

क्र./अ.प्र./2020/577

प्रति,

संचालक चिकित्सा शिक्षा
संचालक गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग
संचालक भोपाल मेमोरिल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर
संचालक राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल
अध्यक्ष नर्सिंग होम एसोसियेशन
अध्यक्ष इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन

विषय:- Hydroxychloroquine दवा का COVID-19 संक्रमण में बचाव हेतु स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग के संबंध में।

संदर्भ:-1. महानिदेशक आई.सी.एम.आर. का अ.शा. पत्र क्र./NO.VIR/4/2020/ECD-1 दिनांक 22 मार्च 2020
2. संचालनालय के पत्र क्र./अ.प्रशा./2020 भोपाल दिनांक 24.03.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में COVID-19 के प्रकरणों में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। शासकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त अन्य चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सालयों में COVID-19 से संक्रमित रोगियों के आने की संभावना है, जिससे चिकित्सालयों में कार्यरत समस्त स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है।

संदर्भित पत्र एवं भारत शासन के दिशानिर्देशानुसार Hydroxychloroquine दवा का COVID-19 संक्रमण से बचाव (Prophylaxis) हेतु उपयोगी पाया गया है। इस हेतु आई.सी.एम.आर. के दिशानिर्देशानुसार भी संभावित एवं Confirmed केस की चिकित्सालयों में देखभाल करने वाले समस्त लक्षण विहीन स्वास्थ्य कर्मियों को Hydroxychloroquine दवा का सेवन करने की अनुशंसा की गई है।

Dose :-

SUBJECTS	TAB	DOSE
Health Care workers	Hydroxychloroquine	400 mg twice a day on first day (with meals) followed by 400 mg once weekly for seven weeks (with meals)

Exclusion/Contraindications :

- Not recommended in children less than 15 years of age, pregnant & lactating women.
- Contraindicated in persons with known hypersensitivity to Hydroxychloroquine and 4-Aminoquinolone and in known case of retinopathy.

अनुरोध है कि अपने अधिनस्थ संचालित चिकित्सालयों में COVID-19 के उपचार तथा देखभाल हेतु नियत स्वास्थ्य कर्मियों (डॉक्टर/नर्सिंग/पैरामेडिकल स्टाफ सहित) की सूची एवं उपरोक्त अंकित डोज अनुसार Hydroxychloroquine दवा की मांग तैयार करें तथा आवश्यक औषधि की संख्या को प्रमाणित कर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करें जिससे चिकित्सालयों को औषधी उपलब्ध कराई जा सके। उनसे औषधि प्राप्त करना सुनिश्चित करें। दवा के उपयोग के पहले जिन स्वास्थ्य कर्मियों को दवा का सेवन कराया जा रहा है उन्हें चिकित्सक द्वारा परामर्श (Prescription) प्राप्त किया जाये तथा परामर्श (Prescription) उपरान्त ही दवा की प्रदायगी सुनिश्चित करें।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित

(डॉ. मोहन सिंह)

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल म.प्र.

de

क्रं./अ.प्र./2020/518
प्रतिलिपि

भोपाल दिनांक: 31/03/2020

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग।
2. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय।
3. वि.क.सह. आयुक्त स्वास्थ्य, म.प्र.।
4. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र.।
6. प्रबंध संचालक, MPPHSCL म.प्र.।
7. संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये म.प्र.।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत चिकित्सालय म.प्र.।
10. समस्त जिला कलेक्टर म.प्र.।
11. श्री राकेश मुंशी संयुक्त संचालक प्रभारी कंट्रोल रूम म.प्र.।

संचालक स्वास्थ्य सेवार्ये
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
भोपाल म.प्र.